(65) राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.10(15)नविवि / 3 / 2013

जायपुर, दिनांक 2 1 JAN 2015

सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।

सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त !

> विषय - मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/ नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 मे संशोधन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 09.12.2014 के द्वारा मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 को लागु करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् "मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण / नियमबद्धता / नियमितिकरण) उपविधियां, 2014" मे निम्नानुसार संशोधन किये जाते है:-

- 1. बिन्दु संख्या—3 के अन्त में निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है:—
 "किसी भ्—स्वामी द्वारा इन उपिधियों में वर्णित प्रावधानों के तहत अनियमित
 निर्माण के नियमन के लिए सम्बन्धित नगरीय निकाय में लिखित में आवेदन करना
 होगा।"
- 2. बिन्दु संख्या -4 के अन्त में तालिका -(क) से पूर्व निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है:"भवनों के अनियमित निर्माण को नियमित किये जाने के लिए नगरीय निकाय बाध्य नहीं होगा। यदि सम्बन्धित निकाय भवन निर्माण में विनियमों का सल्लंघन कर किसी अनाधिकृत निर्माण के वहरें में यह निर्णय करें कि इस धन के स्वरूप या भवन की उपधोतिता को नहीं विमानता है या जनहित के ऐसा किया जाना उचित है तो ऐसे अनाधिकृत निर्माण को इन उप विविधों के प्रावधानों के अनुरूप नियमवद्ध किया जा सकेगा।"

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विमाग

ware fame - 3 FEB 2015

🗯 प. १८ (४४) निवेचि / जायपुर / २०१४ सचिव. जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय: - हाइटेंशन लाइनों के सेफ्टी कोरीडोर के साथ सडकों की चौडाई वा भवनों की ऊचाई बानत। संदर्भः— जयपुर विकास प्राधिकरण कं पत्र क्रमांक जविप्रा/अति.म.न.नि.

/ बीपीसी(एल.पी.) / सु.अ. / 14 / डी- 228 दिनांक 28 10 2014

नहोदय,

रुपरोक्त निषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित ग्रंग के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरंशन ऑफ इण्डिया द्वारा आपको प्रेषित पत्रों (प्रति संलग्न) के अनुसार 132 क.वी. हाईटेंशन लाईन के लिए ROW 27 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 13.8 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात रोष 13.2 मीटर में से रोपटी कोरीडोर के दोना और 68 मेरर नागड़ की पर्दरी समलब १८५० के मार्ग्धिकार म सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार 220 केवी लाईन के लिए ROW 35 मीटर अंकित किया गया है. जिसमें 18.6 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् 16.4 मीटर में सं सेफ्टी कॉरीडोर के दोनों ओर 8.2 मीटर चौडाई की पटटी उपलब्ध सडक के मर्लाधिकार में संउक निर्मण हेतु प्रथम की जा सकता है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवनों की ऊँचाई निर्धारित किये जाने कें लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

"ROW of Hightention Line- Width of Safety Corridor+ Width of Existing Road." उदाहरणार्थ - 132 के.वी. हाईटेंशन लाईन तथा वर्तमान सहक की नौतार्ट 12 पीटर होने की रिथति में सडक का मार्गाधिकार निम्नानुसार होगा:-

"27 मीटर-13.8 मीटर (सैफ्टी कॉरीडोर) =13.2 मीटर (6.6 मीटर दोनो ओर) अर्थात 12 मीटर । हह भे : 186 में एक के आगार पर इस सहक पर रिथत भवनों की प्रेंचाई किलिए की 🗉 पतारी है।

> र्द सिंह शेखावंत) संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

14.00